


2019/00354

93/2019 1156

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत- अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर
कुलदीप तिवाड़ी बनाम लोक सूचना अधि० एवं जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर
किस्म मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005 प्रकरण संख्या 93 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी था
19/11/19	<p>जिला कलक्टर, अजमेर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर से अपील बाबत टिप्पणी अप्राप्त। अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र का सलग्न पत्रादि के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर द्वारा अपीलान्त/प्रार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं तत्पश्चात अपील बाबत टिप्पणी/प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किया जाना गंभीर अनियमितता का द्योतक है। लोक सूचना अधिकारी, जिम्मेदार कार्मिक से इस बाबत स्पष्टीकरण प्राप्त करें तथा अपीलान्त/प्रार्थी को उपलब्ध/देय सूचना/प्रत्युत्तर अविलम्ब निशुल्क उपलब्ध करवाते हुए अद्योहस्ताक्षर कर्ता 10 दिवस में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावें। लोक सूचना अधिकारी अपने कार्यालय में सूचना आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करें ताकि अम्बद्ध अपीलोत्तर एवं सूचना/प्रत्युत्तर प्रदान करने में विलम्ब ना हों। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। अपील इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p> (विश्व मोहन शर्मा) जिला कलक्टर, अजमेर</p>	